फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर वल्लभनगर जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री भगवती प्रसाद औदिच्य   विपक्षी :– श्रीमती भूर कुंवर वगैरह
किस्म मुकदमा :– O9R13 एवं धारा 151CPC   पत्रावली संख्या :– 05/16 (वि.प्रा.पत्र)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.11.2019 – पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रार्थी को दिनांक 15.01.2016, 21.11.2016, 06.02.2017, 27.03.2017, 06.12.2017, 05.03.2018, 20.08.2018, 24.01.2019, 31.10.2019 से आदेशित किया जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक विपक्षीगणो के सम्मन पेश नही किये गए है, पत्रावली वर्ष 2016 से तलबी चली आ रही है। पत्रावली के अवलोकन से ही अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र दर्ज होने के बाद पूर्व में पारित डिक्री की पालना स्थगित किये जाने का आदेश देने के बाद से ही मामले में पैरवी करने में कोई रूचि नही रखना जाहिर होता है। क्योंकि इतनी बार सम्मन पेश करने के लिए आदेशित किए जाने के बावजूद भी सम्मन पेश नही किए गए, जिससे यही जाहिर होता है कि प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता अपने मामले की पैरवी करने में गम्भीर नही है एवं प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत खारिज योग्य है। अतः इस न्यायालय द्वारा पिछले लगभग 4 वर्षो से बार–बार आदेशित किए जाने के बावजूद भी वादी एवं उसके अधिवक्ता द्वारा समस्त विपक्षीगणो की तलबी हेतु उनके रजिस्टर्ड एडी सम्मन प्रस्तुत करने में असफल रहने पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र O9R13CPC सपठित धारा 151CPC इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया। (शैलेश सुराणा) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2019.11.30 09:25:34 IST
Reason: SelfAttested